न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 63/2019
दायर दिनांक :— 13/12/2019
निर्णय दिनांक :— 03/03/2020

अनवान

श्री लक्ष्मणलाल पिता खेमराज आयु 51 वर्ष निवासी हवाला तहसील देवगढ जिला राजसमंद

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ, जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार देवगढ प्रकरण संख्या 298/2019 ना. क. निर्णय दिनांक 13.11.2019

उपस्थित :—

1—श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2—श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट के विरूद्व राजस्व ग्राम कीटो की बाडिया पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 363 रकबा 8—01 बीघा भूमि किस्म गै.मु. नाला के आंशिक हिस्से रकबा 1.00 बिघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित को भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रिमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रिमी मानते हुये लगान 1.00 रूपये का 50 गुणा शास्ति रूपये 50/—रूपये आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 13.11.2019 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम कीटो की बाडिया पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या

363 रकबा 8–01 बीघा भूमि किस्म गै.मु. नाला के आंशिक हिस्से रकबा 1.00 बिघा भूमि पर प्रार्थी का बहुत पुराना कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने नाजायज कब्जा होना मानने में त्रुटि कारित की हैं। अपीलार्थी अपनी आराजी नम्बर 684/364 खातेदारी भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त कर रहा हैं। ओर उससे सटी हुई भूमि का बिना सीमांकन किये ही अपीलार्थी का नाजायज कब्जा होना बताया गया हैं। जो विधि विरूद्ध हैं। अपीलार्थी उक्त भूमि पर वर्षो से काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त कर रहा हैं ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता हैं। धारा 91 की कार्यवाही सक्षिप्त कार्यवाही हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम पदमावती के प्रकरण में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझ कर इरादतन द्वेषता से कार्यवाही की हैं। अपीलार्थी राजस्थान विधानसभा वर्ष 2018 के चुनाव में विधानसभा सदस्य के रूप में चुनाव लडा था इसलिए अब उसके विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता से यह प्रकरण दर्ज कराया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया, न ही साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर दिया गया। इस प्रकार की गई सम्पूर्ण कार्यवाही न केवल विधि के विपरीत हैं, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मामले में अपीलार्थी से जवाब के स्थान पर यह प्रार्थना पत्र पेश करवाया की आपके आदेशानुसार पालना कर दी जल्दी ही आपको रिपोर्ट पेश कर दी जायेगी। जबकि दिनांक 25.10.2019 को अधिनस्थ न्यायालय ने कोई आदेश ही पारित नहीं किया था तो अपीलार्थी किसकी पालना करता। अपीलार्थी को तो मौखिक रूप से यह कहा था कि यह जमीन तुम्हारे खाते कर रहे हैं इसकी डी एल सी दर अनुसार राज्य सरकार में राशि जमा करानी पडेगी जिससे कि उक्त जमीन आपके नाम पर नियमन की जा सके। इस पर अपीलार्थी से आदेश की पालना करने हेतु लिखित में प्रार्थना–पत्र देने के लिए कहा जो प्रार्थी ने लिखित में प्रस्तुत किया हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के उक्त भूमि को नियमन करने का आदेश तो पारित नहीं किया बल्कि बेदखली का आदेश राजनैतिक प्रभाव से कर दिया है। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से सटी हूई उक्त भूमि हैं इसलिए नियम 20 राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी छोटी पट्टी के रूप में उक्त भूमि अपने नाम पर आवंटन/ नियमन कराने का अधिकारी हैं। अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी की प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश को अपास्त फरमाया जावें व उक्त वर्णित भूमि अपीलान्ट के नाम आवंटित/नियमन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम कीटो की बाडिया पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 363 रकबा 8–01 बीघा भूमि किस्म गै.मु. नाला के आंशिक हिस्से रकबा 1.00 बिघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में हल्का पटवारी से अतिक्रमी का कब्जा काश्त और मौके की रिपोर्ट चाही गई । पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मय मौका पर्चा ,जमाबन्दी मय ट्रेस प्रस्तुत कि जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मोजूद है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया हैं कि अपीलाण्ट श्री लक्ष्मणलाल पिता खेमराज सालवी का आराजी नम्बर 363 रकबा 8.01 बीघा भूमि किस्म गै.मु. नाला में से 1.00 बीघा भूमि पर विपक्षी का कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी का कब्जा काफी पुराना है किन्तु अतिक्रमणशुदा भूमि बिलानाम नाला दर्ज है। जो किसी भी प्रकार से नियमन योग्य नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। इसके साथ ही D.B. Civil Writ Petiton No. 1536/03 अब्दुल

रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02–08–04 से भी सम्बन्धित है। जिससे विपक्षी के नाम किसी भी सुरत में भी भूमि नियमन योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रिमी के विरूद्व जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम कीटो की बाडिया पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 363 रकबा 8–01 बीघा भूमि किस्म गै.मु. नाला के आंशिक हिस्से रकबा 1.00 बिघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। इसके साथ ही D.B. Civil Writ Petiton No. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02–08–04 से भी सम्बन्धित होने से नियमन एवं आवंटन नहीं की जा सकती हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व की गई कार्यवाही बेदखल व शास्ति 50/–रूपये आरोपित करने के आदेश से मैं सन्तुष्ट हूँ । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं । अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द